अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2025

क्रमांक–1925/मप्रविनिआ/2025– विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त तथा इस निमित सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 (क्रमांक जी–44, वर्ष 2018) जिन्हें एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 में तृतीय संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ (Short Title and Commencement) :**

1.1 ये विनियम "**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2018 {एजी–44 (iii), वर्ष 2025}**" कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर लागू होंगे।

2. **मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन :**

2.1 **मूल विनियमों के विद्यमान उप–खण्ड(ग) के बाद एक नवीन उप–खण्ड (गएक) निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"**(गएक) 'क्षेत्र समाशोधन मूल्य (Area Clearing Price or ACP)'** से अभिप्रेत है किसी समय–खण्ड (Time Block) हेतु किसी पावर एक्सचेंज (Power Exchange) पर विपणन विभाजन (market splitting) के पश्चात् किसी/ किन्हीं विशिष्ट क्षेत्र(ों) में समस्त वैध क्रय तथा विक्रय बोलियों पर विचारोपरान्त किये गये संव्यवहार के फलस्वरूप किसी विद्युत संविदा (electricity contract) का मूल्य ;"

2.2 **मूल विनियमों के उप–खण्ड (घ) के खण्ड 2(1) के स्थान पर एक नवीन उप–खण्ड (घ) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(घ) **'उपलब्ध क्षमता (Available Capacity or 'AVC')'** से अभिप्रेत है पवन या सौर उत्पादकों हेतु जो राज्य इकाइयां हैं, पवन टरबाइनों (wind turbines) या प्रतीपकों हेतु संचयी क्षमता मूल्यांकन (cumulative capacity rating) होगी जो किसी प्रदत्त समय–खण्ड में विद्युत के उत्पादन हेतु सक्षम है :

परन्तु यह कि सौर–पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के प्रकरण में, उपलब्ध क्षमता पवन टरबाइनों या सौर प्रतीपकों की संचयी क्षमता मूल्यांकन होगी जो किसी प्रदत्त खण्ड में विद्युत के उत्पादन हेतु सक्षम होगी परन्तु मेगावाट (MW) में मात्रा (quantum) से अधिक न होगी जिस हेतु संयोजकता अनुमति (connectivity permission) प्रदान की गई है तथा उक्त समूह ऊर्जा पारेषण/करार (Bulk Power Transmission Agreement) का निष्पादन किया गया है;

परन्तु आगे यह और कि उपरोक्त परियोजनाओं द्वारा ऊर्जा संचयन प्रणाली (Energy Storage System) धारित की भी जा सकती है तथा नहीं भी ;

2.3 **मूल विनियमों के खण्ड 2(1) के उप–खण्ड (ज) के स्थान पर निम्न नवीन उप–खण्ड (ज) स्थापित किया जाए, अर्थात :**

"(ज) **"विचलन–नवीकरणीय ऊर्जा (Deviation-RE) {जिसे 'निरपेक्ष त्रुटि (Absolute Error)' भी कहा गया है}** से अभिप्रेत है ऊर्जा संचयन प्रणाली (Energy Storage System-ESS) से युक्त तथा उसके बगैर भी पवन, सौर, सौर तथा पवन ऊर्जा के उत्पादकों के मिश्रण (हाइब्रिड) से प्राप्त वास्तविक विद्युत उत्पादन में त्रुटि का निरपेक्ष मूल्य (absolute value) जो अनुसूचित उत्पादन (Scheduled Generation) तथा 'उपलब्ध क्षमता (Available Capacity-AvC) के संदर्भ में राज्य इकाइयां (State Entities) हैं जैसा कि इसकी गणना 15 मिनट के समय–खण्ड हेतु निम्न सूत्र के प्रयोग द्वारा की गई हो :

त्रुटि (Error) (प्रतिशत में) =100 x [वास्तविक विद्युत उत्पादन–अनुसूचित विद्युत उत्पादन]/उपलब्ध क्षमता (AvC) :

परन्तु यह कि प्रत्येक 15 मिनट के समय–खण्ड हेतु स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणालियां (Stand alone ESS) जो राज्य इकाइयां हैं, के विचलन की गणना निम्न सूत्र के प्रयोग द्वारा की जाएगी :

विचलन–सामान्य विक्रेता (Deviation-General Seller-Dgs) = (वास्तविक विद्युत उत्पादन–अनुसूचित विद्युत उत्पादन) ;"

2.4 **मूल विनियमों के खण्ड 2(1) के उप–खण्ड (ज) के पश्चात् एक नवीन उप–खण्ड (जक) निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(जक) **'ऊर्जा संचयन प्रणाली ('Energy Storage System or 'ESS')'** से अभिप्रेत है कोई सुविधा जहां विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन ऊर्जा के किसी भी रूप में किया जाता हो जिसका संचय किया जा सकता हो तथा तदोपरान्त विद्युत ऊर्जा (electrical energy) में पुनः परिवर्तित किया जा कर इसे पुनः ग्रिड में अन्तःक्षेपित (injected back) किया जा सकता हो;"

2.5 **मूल विनियमों के खण्ड 2(1) के उप–खण्ड (त्र) के पश्चात् एक नवीन उप–खण्ड (त्रक) निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(त्रक) **'सामान्य विक्रेता (General Seller)'** से अभिप्रेत है कोई विक्रेता जो पवन, या सौर या फिर पवन–सौर ऊर्जा के मिश्रित (हाइब्रिड) संसाधनों से पृथक संसाधनों पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र का विक्रेता हो ;"

2.6 **मूल विनियमों के खण्ड 2(1) के उप–खण्ड (ण) के स्थान पर एक नवीन उप–खण्ड (ण) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(ण) **'नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं (RE Projects)'** से अभिप्रेत है ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर सौर–पवन ऊर्जा मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन परियोजनाएं और स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली (Stand-alone ESS), भले ही उन्हें क्रियाशील करने की तिथि (Date of Commissioning) जो भी हो, तथा पारिभाषिक शब्द नवीकरणीय परियोजनाओं (RE Projects) का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा ;"

2.7 **मूल विनियमों के खण्ड 2(1) के उप–खण्ड (द) के स्थान पर एक नवीन उप–खण्ड (द) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(द) **'निकाय स्टेशन (Pooling Station)'** से अभिप्रेत है कोई उप–केन्द्र (Sub-Station) जहां ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर वैयक्तिक पवन ऊर्जा उत्पादकों से प्राप्त विद्युत उत्पादन/ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या

उसके बगैर वैयक्तिक सौर ऊर्जा उत्पादकों से प्राप्त विद्युत उत्पादन/ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त या उसके बगैर वैयक्तिक सौर–पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन परियोजना से प्राप्त विद्युत उत्पादन/स्वचालित ऊर्जा संचयन प्रणाली से प्राप्त विद्युत उत्पादन का समेकन (Pooling) आगामी उच्चतर वोल्टेज स्तर के साथ अन्तर्संयोजन (interfacing) हेतु किया जाता है :

परन्तु यह कि जहां ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर किसी पवन ऊर्जा/ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर किसी सौर ऊर्जा/ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर किसी सौर–पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं/स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली हेतु कोई पृथक समेकन केन्द्र (निकाय स्टेशन) (Pooling Station) न हो तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र किसी सामान्य संभरक (feeder) से संयोजित हो और विद्युत वितरण कम्पनी/राज्य पारेषण उपयोगिता (STU)/केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (CTU) पर इसका समापन हो तो यथास्थिति, ऐसी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु विद्युत वितरण कम्पनी/राज्य पारेषण उपयोगिता (STU)/केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (CTU) के उपकेन्द्र को समेकन केन्द्र/निकाय स्टेशन (Pooling Station) माना जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर सौर–पवन ऊर्जा परियोजन्ना की अवस्थिति उसी स्थल पर या अधिकतम दो विभिन्न अवस्थितियों पर तथा ऐसे प्रकरण में जहां वे सह–अवस्थित (Co-located) न हों, वहां ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर किसी मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना को, विभिन्न अवस्थिति पर दो बिन्दुओं पर संयोजित किया जा सकेगा। तथापि, ऐसे प्रकरण में दोनों बिन्दुओं पर ग्रिड से संयोजन केवल समर्पित संभरक (dedicated feeder) के माध्यम से ही किया जा सकेगा ;"

2.8 **मूल विनियमों के 'उप–खण्ड (ध) के पश्चात् एक नवीन उप–खण्ड (धक) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात :**

"(धक) 'संदर्भ प्रभार दर (Reference Charge Rate or RR)' से अभिप्रेत है :

(एक) सामान्य विक्रेता (general seller) के बारे में जिसकी विद्युत–दर (टैरिफ) अधिनियम की धारा 62 या धारा 63 या धारा 86(1)(ख) के अधीन अवधारित या अंगीकृत या अनुमोदित की जाती हो वहां ऊर्जा प्रभार (रूपये

प्रति किलोवाट ऑवर (kWh) में) जैसा कि इसे समुचित आयोग द्वारा अवधारित या अंगीकृत या अनुमोदित किया जाए; या

(दो) किसी सामान्य विक्रेता के बारे में जिसकी विद्युत–दर अधिनियम की धारा 62, या धारा 63 या धारा 86(1)(ख) के अधीन अवधारित, अंगीकृत या अनुमोदित न की जाती हो तथा विद्युत का विक्रय पावर एक्सचेंज(ों) के माध्यम से किया जाए वहां तत्संबंधी संव्यवहार (transaction) हेतु पावर एक्सचेंज में प्रचलित दर पर किया जाएगा ; या

(तीन) ऐसे स्त्रोतों पर आधारित जो नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत न हों, के आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (Captive Generating Plant) की आबद्ध विद्युत खपत के प्रकरण में यह दर समस्त पावर एक्सचेंजों के एकीकृत–दिवस पूर्व विपणन खण्डों (Integrated-Day Ahead Market Segments) के भारित औसत क्षेत्र समाशोधान मूल्य {weighted average Area Clearing Price (ACP)} पर आधारित होगी ; या

(चार) बहुविध संविदाओं (multiple contracts) या संव्यवहारों हेतु (transactions) आबद्ध खपत (Captive Consumptions) को सम्मिलित करते हुए, के प्रकरण में यह दर ऐसी समस्त संविदाओं या संव्यवहारों की संदर्भ दरों का भारित औसत होगी।"

2.9 **मूल विनियमों के खण्ड 2(1) के प्रस्तावित उप–खण्ड (धक) के बाद एक नवीन उप–खण्ड (धख) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(धख) **'नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन केन्द्र (Renewal Energy Generating Station or REGS)'** से अभिप्रेत है ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त या उसके बगैर ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत पर आधारित कोई विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा इसमें नवकरणीय मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन केन्द्र भी सम्मिलित होंगे;"

3. **मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन :**

मूल विनियमों के खण्ड 3(2) के स्थान पर खण्ड 3(2) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(2) ये विनियम उस/उन विक्रेता(ओं) को लागू होंगे जो यथास्थिति विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण या वितरण में {विद्युत के राज्यान्तरिक चक्रण (wheeling) को

सम्मिलित करते हुए) लघु–अवधि निर्बाध (खुली) पहुंच या मध्यम अवधि निर्बाध (खुली) पहुंच या दीर्घ–अवधि निर्बाध (खुली) पहुंच में सहयोजित है/हैं जिनका संबंध समस्त पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादकों से जिनकी संयुक्त स्थापित क्षमता 10 मेगावाट (MW) है तथा सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादकों से जिनकी स्थापित क्षमता 5 मेगावाट (MW) तथा इससे अधिक है। इसके अन्तर्गत ऐसे विद्युत उत्पादक भी सम्मिलित है जो समेकित केन्द्रों/निकाय स्टेशनों के माध्यम से संयोजित हैं तथा राज्य के भीतर विद्युत का विक्रय कर रहे हैं। उपरोक्त उल्लेखित पवन, सौर तथा सौर–पवन मिश्रित उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत ऊर्जा संचयन प्रणालियों (ESS) को भी धारित किया जा सकता है :

परन्तु यह कि ये विनियम ऐसी समस्त स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणालियों (Stand-alone ESS) को भी लागू होंगे जिनकी स्थापित क्षमता 10 मेगावाट तथा इससे अधिक है तथा इसमें वे प्रणालियां भी सम्मिलित हैं जो राज्य के भीतर समेकित केन्द्रों/निकाय स्टेशनों से संयोजित हैं तथा राज्य के भीतर विद्युत का विक्रय कर रहे हों :

परन्तु आगे यह और कि ये विनियम ऐसे समस्त स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणालियों (Stand-alone ESS), पवन, सौर तथा सौर–पवन मिश्रित (हाइब्रिड) उत्पादन परियोजनाओं को भी लागू होंगे जो राज्य के बाहर निर्बाध (खुली) पहुंच के अधीन विद्युत का विक्रय कर रहे हों तथा जिनकी संयुक्त स्थापित क्षमता एक मेगावाट या उससे अधिक है।"

4. **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक में संशोधन :**

4.1 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–1 के खण्ड 2 (पांच)(i) के स्थान पर नवीन खण्ड 2(पांच)(i) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(पांच)(i) 'क्यूसीए' अन्तर्संयोजन बिन्दु पर निकाय केन्द्र(ों) से संयोजित समस्त पवन/ सौर /मिश्रित (हाइब्रिड) केन्द्रों पर, जो ऊर्जा संचयन प्रणालियों से युक्त हैं या विहीन हैं तथा स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणालियों की ओर से भी राज्य भार प्रेषण केन्द्र को दिवस–भीतर (Intraday) नियतकालिक पुनरीक्षण दिवस–पूर्व उपलब्ध क्षमता तथा पूर्वानुमानित विद्युत उत्पादन के आंकड़े 15 मिनट खण्ड–वार उपलब्ध करायेंगे तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से अनुसूचीकरण बाबत राज्य भार प्रेषण केन्द्र से समन्वयन भी करेंगे :

परन्तु यह कि :

एक) अन्तःक्षेपण के समय ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से या फिर दोनों सौर/पवन/मिश्रित (हाइब्रिड) या स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली (Stand-alone ESS) से संयोजित पुर्वानुमान को 'क्यूसीए' द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

दो) ऊर्जा संचयन प्रणाली को प्रभारित करने हेतु ऊर्जा का अनुसूचीकरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा क्रेता तथा विक्रेता के मध्य निष्पादित संविदाओं के अनुसार किया जाएगा। ऊर्जा का अनुसूचीकरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा क्यूसीए द्वारा प्रदान की जाने वाली पृथक मांग के अनुसार ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) को प्रभारित करने हेतु किया जाएगा।

टीप : ग्रिड से ऊर्जा के अन्तःक्षेपण (injection) तथा आहरण (drawal) हेतु पृथक–पृथक प्रतीक–चिन्ह परिपाटी (sign convention) का उपयोग किया जाएगा।''

4.2 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 4(iii) के स्थान पर नवीन खण्ड 4(iii) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

'(iii) 'क्यूसीए' निकाय स्टेशन/समेकित केन्द्र (Pooling Station) से संयोजित ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त या उसके बगैर भी पवन/सौर/मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादकों की ओर से ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर भी प्रत्येक निकाय स्टेशन/समेकित केन्द्र (Pooling Station) हेतु 15 मिनट के समय–खण्ड में उपलब्ध क्षमता (Available Capacity) तथा पूर्वानुमान उत्पादन (forecast generation) घोषित करेगा।''

4.3 **मूल विनियमों के विद्यमान खण्ड 5(iii) के पश्चात् नवीन खण्ड (iv) तथा (v) निम्नानुसार जोड़े जाएं, अर्थात् :**

''(iv) ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त पवन/सौर/मिश्रित (हाइब्रिड) उत्पादकों के प्रकरण में, प्रत्येक पवन/सौर/मिश्रित (हाइब्रिड) निकाय स्टेशन/समेकित केन्द्र (Pooling Station) तथा ऊर्जा संचयन प्रणाली को मय स्वचालित मापयन्त्र वाचन (AMR) व्यवस्था के विशेष ऊर्जा मापयन्त्र (Special Energy Meter-SEM) के साथ पृथक–पृथक मीटरीकृत किया जाएगा ताकि वैयक्तिक वास्तविक अन्तःक्षेपण/आहरण के आंकड़ों का अधिग्रहण (Capture) किया जा सके।

(v) राज्य विद्युत वितरण कम्पनी (State Discom) द्वारा ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) के साथ पवन, सौर तथा मिश्रित (हाइब्रिड) व्यवस्था द्वारा गैर–उत्पादन घंटों (non-

generation hours) के दौरान स्वयं के उपयोग हेतु {संयन्त्र के तुल्यकालन (Synchronization) या केन्द्र के बन्द होने (shut-down) के दौरान या सहायक खपत, आदि बाबत विद्युत आहरण की बिलिंग के लिये एक पृथक संयोजन (Connection) प्रदान किया जाएगा।"

4.4 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 6(क) के स्थान पर नवीन खण्ड 6(क) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(क) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी अनुसूचियों के आधार पर तथा संबंधित विद्युत वितरण कम्पनियों/राज्य भार प्रेषण उपयोगिता से प्राप्त विशेष ऊर्जा मापयन्त्र (SEM) आंकड़ों के आधार पर या फिर स्वचालित मापयन्त्र वाचन प्रणाली (AMR System) के माध्यम से ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर या स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली (Stand-alone ESS) हेतु अर्हतायुक्त {पवन तथा सौर समेकित निकाय स्टेशनों (Pooling Stations) के पवन/सौर/मिश्रित उत्पादन केन्द्रों हेतु} विचलन प्रभारों की गणना करेगा।"

4.5 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 6(ङ) (एक) (ii) के स्थान पर नवीन खण्ड 6(ङ) (एक) (ii) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(ii) अनुसूचित उत्पादन वास्तविक उत्पादन से कम होने की दशा में, उत्पादन में कमी के बारे में विचलन प्रभार ऊर्जा संचयन प्रणालियां जो राज्य इकाइयां हैं से युक्त या उसके बगैर सौर अथवा पवन उत्पादकों या सौर तथा पवन उत्पादकों की मिश्रण (हाइब्रिड) व्यवस्था को राज्य विचलन निकाय खाते (State Deviation Pool Account) से देय होगा जैसा कि इसे परिचालन प्रक्रिया (Operating Procedure) के अन्त में संलग्न सारणी–एकक तथा दोक में दर्शाया गया है।"

4.6 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 6(ङ) (एक) (iii) के स्थान पर नवीन खण्ड 6(ङ) (एक) (iii) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(iii) अनुसूचित उत्पादन वास्तविक उत्पादन से अधिक होने की दशा में, उत्पादन में, आधिक्य उत्पादन हेतु विचलन प्रभार, ऊर्जा संचयन प्रणालियां, जो राज्य इकाइयां हैं, से युक्त या उसके बगैर सौर अथवा पवन उत्पादकों या सौर तथा पवन उत्पादकों की मिश्रण (हाइब्रिड) व्यवस्था को राज्य विचलन निकाय खाते (State Deviation Pool Account) से देय होगा जैसा कि इसे परिचालन प्रक्रिया (Operating Procedure) के अन्त में संलग्न सारणी–एकख तथा दोख में दर्शाया गया है।"

4.7 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 6(ङ) (एक) (iv) के स्थान पर नवीन खण्ड 6(ङ) (एक) (iv) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(iv) तालिका एकक तथा एकख तथा तालिका दोक तथा दोख में संदर्भित स्थाई प्रभार (Fixed Rate) विद्युत क्रय अनुबन्ध (Power Purchase Agreement) दर है जैसा कि इसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा अवधारित किया गया है या विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अधीन आयोग द्वारा अंगीकृत (adopt) किया गया है। बहुविध विद्युत क्रय अनुबन्धों के प्रकरण में विद्युत क्रय अनुबन्ध के भारित औसत को स्थाई दर (Fixed Rate) के रूप में लिया जाएगा। ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर पवन, सौर तथा मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादकों द्वारा शपथ–पत्र (affidavit) पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र को विचलन प्रभार लेखा (deviation charge account) तैयार करने के प्रयोजन हेतु, विद्युत क्रय अनुबन्ध की प्रतिलिपि द्वारा समर्थित विद्युत क्रय अनुबन्ध दरों को प्रस्तुत किया जाएगा।"

4.8 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 6(ङ) (एक) (v) के स्थान पर नवीन खण्ड 6(ङ) (एक) (v) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(v) निर्बाध (खुली) पहुंच प्रतिभागियों (Participants) हेतु स्थाई दर (Fixed Rate) जहां कोई भी विद्युत क्रय अनुबन्ध दर उपलब्ध न हो वहां केन्द्रीय आयोग द्वारा औसत विद्युत क्रय लागत (Average Power Purchase cost) को समय–समय पर पृथक आदेश के माध्यम से अवधारित किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि जहां ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) को सामान्य विक्रेता के रूप में माना जाए वहां संदर्भ प्रभार दर (Reference Rate) को विचलन प्रभारों की संगणना हेतु विचलन प्रभार दर (Deviation Charge Rate) के रूप में माना जाएगा।"

4.9 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 6(ङ) (दो) (ii) के स्थान पर नवीन खण्ड 6(ङ) (दो) (ii) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(ii) ऐसी दशा में जहां यथास्थिति विद्युत उत्पादन केन्द्र या निकाय स्टेशन/ समेकित केन्द्र (Pooling Station) का वास्तविक विद्युत उत्पादन अनुसूचित उत्पादन से कम या अधिक हो, वहां कमी (shortfall) या आधिक्य (excess) हेतु विचलन प्रभारों का भुगतान ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त या उसके बगैर सौर तथा पवन उत्पादक(ों) की पवन या सौर या मिश्रित (हाइब्रिड) व्यवस्था द्वारा या 'क्यूसीए' द्वारा यथास्थिति

भुगतान इन परिचालन प्रक्रियों के अन्त में संलग्न सारणी–तीन या सारणी–चार में दर्शाये गये अनुसार राज्य विचलन निकाय लेखा (State Deviation Pool Account) को देय होगा।"

4.10 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 6(ङ) (दो) (iv) के स्थान पर नवीन खण्ड 6(ङ) (दो) (iv) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(iv) ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त तथा उसके बगैर सौर तथा पवन विद्युत उत्पादकों की समस्त पवन या सौर या मिश्रित (हाइब्रिड) प्रणालियों और स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणालियों (Stand-alone ESS) को एक–साथ मिलकर आभासी निकाय (Virtual Pool) माना जाएगा। इस आभासी निकाय हेतु तथा इसके अन्तर्गत विचलनों को प्रथम उपरोक्त विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु उपरोक्त निर्धारित दरों तथा क्रियाविधि के अनुसार व्यवस्थापित (settle) किया जा सकेगा।"

4.11 **विद्यमान खण्ड 6(ङ) (दो) के पश्चात् एक नवीन खण्ड 6(ङ) (तीन) निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात् :**

"(तीन) (एक) स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली (Stand-alone ESS) (दो) ऊर्जा संचयन प्रणाली मय पवन/सौर उत्पादकों के साथ तथा केवल ऊर्जा संचयन प्रणाली ग्रिड से ऊर्जा का अन्तःक्षेपण या आहरण कर रही है, जिसकी गणना नदी बहाव (RoR) विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा नगरपालिक ठोस अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र को छोड़कर सामान्य विक्रेता के रूप में की जाएगी जैसा कि इसे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा यथासंशोधित विनियम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तन्त्र) और संबंधित मामले विनियम, 2024 में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार किया गया है :

परन्तु यह कि जब ऊर्जा संचयन प्रणाली आवेशन पद्धति (Charging Mode) में हो तो आधिक्य आहरण (Overdrawal) के रूप में तद्नुसार कम आहरण (under drawal) को आधिक्य अन्तःक्षेपण माना जाएगा तथा विचलन हेतु प्रभारों का तद्नुसार व्यवस्थापन किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि विचलन हेतु प्रभारों की संगणना स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली के पम्पयुक्त जल विद्युत संचयन संयन्त्र के रूप में होने के कारण वैसी ही होगी जैसा कि वह इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से 31.3.2026 तक हो जिसके पश्चात् विचलन के प्रभारों की संगणना स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली

के पम्पयुक्त जल विद्युत संग्रहण संयन्त्र के रूप में होने के कारण सामान्य विक्रेता के समकक्ष होगी :

परन्तु यह और भी कि पवन/सौर/मिश्रित विद्युत उत्पादकों के ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त होने की दशा में वह राज्यान्तरिक संव्यवहारों हेतु अन्तःक्षेपण अनुसूची के अभाव में करती हो तो विचलन प्रभारों की संगणना विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु निर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार की जाएगी जिसके साथ ऊर्जा संचयन प्रणाली संयोजित (Coupled) है।''

4.12 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड आठ के स्थान पर नवीन खण्ड आठ निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

''(8) अर्हतायुक्त समन्वयन अभिकरण (QCA) को पवन तथा सौर उत्पादन केन्द्रों के विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (DSM) प्रभारों के प्रति निम्न प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी (BG) के रूप में राज्य विचलन समूह खाते में जमा करनी होगी :

(एक) ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर सौर विद्युत उत्पादन हेतु–रू 10,000/– प्रति मेगावाट, सौर विद्युत उत्पादन केन्द्र (Solar Generating Station) की स्थापित क्षमता हेतु

(दो) ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त तथा उसके बगैर पवन विद्युत उत्पादन हेतु–रू 40,000/– प्रति मेगावाट, पवन विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता हेतु

(तीन) ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त तथा उसके बगैर सौर–पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु–रू 25,000/– प्रति मेगावाट, सौर तथा पवन विद्युत उत्पादन केन्द्रों की संयुक्त स्थापित क्षमता हेतु या मेगावाट में मात्रा जिस हेतु संयोजकता (connectivity) प्रदान की गई है, इनमें से जो भी कम हो

(चार) स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली परियोजनाओं (Stand-alone ESS Projects) हेतु –रू 5,000 प्रति मेगावाट, स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली परियोजना की स्थापित क्षमता हेतु

(पांच) प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी तीन वर्षों की अवधि के लिये वैध होगी जिसे किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किया गया हो तथा इसमें आवश्यकतानुसार समय–समय पर वृद्धि की जाएगी। प्रतिभूति राशि की

समीक्षा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रति वर्ष माह मई के अन्त तक पूर्व वर्ष के दौरान विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (DSM) की वास्तविक घटना (incidence) पर आधारित की जाएगी।

(छः) 'क्यूसीए' द्वारा 'राज्य विचलन समूह खाते' में विचलन हेतु प्रभारों का विवरण–पत्र जारी होने के बारह दिवस की निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान न किये जाने पर तथा तत्पश्चात् विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (DSM) लेखा जारी होने के 60 दिवस की चूक होने के बावजूद भी उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य भारण प्रेषण केन्द्र संबंद्ध 'क्यूसीए' की बैंक गारंटी का नगदीकरण कर सकेगा तथा संबद्ध क्यूसीए को इसकी राशि की प्रतिपूर्ति (recoupment) एक माह की अवधि के भीतर करनी होगी। तथापि, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा साप्ताहिक विवरण पत्र प्रक्रिया के क्रियान्वयन के बाद, प्रतिपूर्ति अवधि को 15 दिवस तक कम कर दिया जाएगा।"

टीपः– इन विनियमों के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डा, आयोग सचिव.